

NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED

CIN: L27106DL1985PLC021811

Date: 30.05.2025

To,

The Manager,
NSE - Corporate Office
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
BandraKurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051

Sub: Newspaper Advertisement under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Ma'am,

With reference to the above captioned subject, please find enclosed herewith the clippings of the English Newspaper "**Financial Express**" and Hindi Newspaper "**Jansatta**" dated 30th May, 2025 in which Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2025 has been published.

This is for your kind information and record.

Thanking You,

For Niraj Ispat Industries Limited

Chaitanya Chaudhry
Director
DIN: 06813394
Add: KD-46, Kavi Nagar,
Ghaziabad, Uttar Pradesh-201002

REGAL ENTERPRISES LTD				
Regd. Off: Shop No G-2 Plot No 5, Kohli Plaza Block-CU Market, Pitampura, Delhi-110034				
CIN: L73100DL1989PLC269075				
Email Id: regalenterpriseslimited@gmail.com, Website: www.regalenterpriseslimited.com				
Extract of Audited Financial Results for the Quarter and financial year ended 31st March, 2025				
Sl. No.	Particulars	3 months ended 31.03.2025	Corresponding 3 months ended 31.03.2024	12 months ended 31.03.2025
1	Total Income from Operations	0.00	0.00	0.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and Exceptional Items)	1.43	-4.46	0.74
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	1.43	-4.46	0.74
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	1.43	-4.46	0.74
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	1.43	-4.46	0.74
6	Equity Share Capital	316.48	316.48	316.48
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-19.02
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each):			
1. Basic (Rs.) :	0.05	-0.14	0.02	
2. Diluted (Rs.) :	0.05	-0.14	0.02	
Note: a) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 28th May 2025				
b) The Statutory Auditors of the Company have carried out the audit of said consolidated financial results for the quarter and year ended 31st March, 2025, in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditors have issued an audit reports an unmodified opinion on these financial results.				
c) Previous year's figures have been regrouped/rearranged, wherever required.				
d) The Audited Standalone financial results of the Company for the Quarter and year ended on 31st March, 2025 are also available on website of MSEI Limited (www.msei.in) and website of the Company (www.regalenterpriseslimited.com)				
For REGAL ENTERPRISES LTD				
Sd/-				
FIRDAUS				
Director				
Place: Delhi				
Date: 28th May, 2025				
DIN: 10605001				

पंजीकृत ए/डी एवं दस्ती एवं चिपकाकर तथा ड्रम बजाकर और प्रकाशन तथा डीआरटी परिसरों के नोटिस बोर्ड पर	
बिज्नी उद्योघषणा	
कार्यालय बसूली अधिकारी-I,	
ऋण बसूली अधिकरण-III, दिल्ली	
चौथी मंजिल, जीवात तार बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001	

टी.आर.सी. नं. 68/2022 दिनांक : 04.09.2023
बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की बसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आवकअधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिज्नी उद्योघषणा

मैसर्स ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	
बनाम	
मैसर्स हाटलाइन सीपीटी लिमिटेड एवं अन्य	
1. ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी.केलकर मार्ग, आर.जी.गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028 जिसकी शाखा यूनिट नंबर 206-207, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंबा रोड, दिल्ली-110001 में है।	
नाम	
1. मैसर्स हॉटलाइन सीपीटी लिमिटेड और अन्य, 241 ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज-III, नई दिल्ली। उत्पत्ति अलावा:-जीबीए3 विरोधी इंडस्ट्रियल मानवगुण भिंड, मध्य प्रदेश-477117।	
2. श्री अनिल गुप्ता (भुगतक), एलआर श्री अनुरा गुप्ता (निदेशक) के माध्यम से निवासी 5/17 शांति निकेतन नई दिल्ली-110021 साथ ही पता:- 143 साराहि विहार कालोनी न्यू हाई कोर्ट रोड सिटी ग्यालियर, मध्य प्रदेश-474011 साथ ही पता:- 42 सेक्टर 8 गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301	

जैसा कि आप पंजीकृत अधिकारी, ऋण बसूली अधिकरण-II, दिल्ली द्वारा निर्गत ओए नं. 975/2018 में आह्वित सूचीय प्रमाणपत्र के अनुसार आपकी ओर बकाया रु.1177,61,11,170.00 (रुपये ग्यारह सौ सतरस करोड़ इक्कस लाख ग्यारह हजार एक सौ सतर ना) तथा प्रमाणपत्र के अनुसार इस ओए नं.975/2018 के दखिख करने की तिथि से 16.50% वार्षिक साधारण दर से ब्याज का भुगतान करने में विफल रहे हैं जो बकाया हो गया है।
तथा बिज्नी के अघोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिज्नी का आदेश दिया है।
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि स्थान आदेश की अनुपस्थिति में 09.07.2025 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप.के बीच (यदि जरूरी हुआ बन्द होने के पूर्व) अंतिम 5 मिनटों में स्वतः विवरण उपबन्ध के साथ) ई-नौलामी द्वारा उक्त संपत्ति को बिज्नी की जाणीय तथा यह बोलो मैसर्स ई-प्रोकोयरेस्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अक्सन टाइगर, प्रधान कार्यालय : बी-705, वाल्ट स्ट्रीट-कम, ओरिएंट कन्य के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत), संविदाकार सर्पेट मोबाइल : 926562618/926562821/079-68136842/6869, ई-मेल : support@auctiontenger.net के माध्यम से अनलाइन प्रक्रियाएं से करके हैं। सम्पत्ति व्यक्ति: राम चर्मा (सी. 8000023297 के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

किस्सी भी प्रकार की पुछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण करने के इच्छुक बोलोदाता सूत्री बिज्नी कादयान, वरधि प्रत्यक्ष, एप. 9811527752 ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नंबर 206-207, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखंबा रोड, दिल्ली-110001, ई-मेल- sasf.recovery@omkaraarc.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

यह बिज्नी नीचे अनुसूची में नामित उपरोक्त प्रतिवादिनों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देवतार एवं दावे, जो उक्त तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसका बिज्नी के सिलसिले में कोई करव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परेष रूप से, वे बेचे जा रही संपत्ति को अंतिम करने के लिए बोलो लगाने या कोई हित अंतिम करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिज्नी आकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा ओए की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।
संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अघोहस्ताक्षरी की सर्वप्रथम जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्योघषणा में किसी गलती,त्रुटि अथवा त्रुटि के लिए अघोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य तथा ईएमडी का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य ज.घ.य.
1	सम्पत्ति सं. ए-7, सेक्टर-5, नोएडा, बिना गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301	रु. 10,49,27,400/- रु. 1,04,92,740/-

सम्पत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी।

- यह राशि जिसके द्वारा बोलो बढ़ाई जाएगी रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) है। यदि बोलो राशि अथवा बोलोदाता से संबंधित कोईविवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिज्नी पर लगाया जाएगा।
- उच्चतम बोलोदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करनाव्यवहारिक नहीं होता है तो अघोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोलो को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
- ऊपर उल्लिखित ईएमडी का भुगतान 04.07.2025 तक रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडीपी आर्डर मूवमेंट लिफाफे में जमा करना होगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नौलामी में भागीदारी के लिए विवरण नहीं किया जाएगा।
- बोलो आवेदन के सात पन कार्ड की प्रति, निवारण के प्रमाण तथा पचास के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रमाण की ओर से बोलो कर रहे हों तो उद्योघषणा जमा किया जायेगा। बाद के मामले में उन्हें उक्तका प्रतिकार जमा करना होगा अन्यथा इसमें चूक करने पर बोलो निरस्त कर दी जायेगी। कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अदानी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइनल से प्राप्त अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उक्त प्रतीक भुगतान, रिकवरी अधिकारी-क डीआरटी-कम्प्ल दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
- सफल बोलोदाता को आगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खात में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोलो राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
- सफल/उच्चतम बोलोदाता को सम्पत्ति की बिज्नी की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व अंतिम संविदा राशि का 75% जमा करना होगा। यदि 15वें दिन दिन रिविवा या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंककार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में वर्णित के अनुसार निर्धारित माध्यम हैं। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क रजिस्टार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी द्वारा रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III के पास जमा करना होगा।
- सम्पादित बोलोदाताओं के लिए निरीक्षण हेतु सम्पत्ति 01.07.2025 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक खुली रहेगी। उपर्युक्त अधिकृत प्राधिकारी सम्पादित क्रेताओं द्वारा निरीक्षण की आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
- निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक के मामले में विक्रय के व्यव को डिफें करने के पश्चात, यदि अघोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझता है तो जमा भ्रानसि सरकार के पास जवाब कर ली जायेगी और चुकौतों क्रेता का सम्पत्ति अथवा उसके भाग या बेचे जाने वाली सम्पत्ति से वाद में प्राप्त होने वाली राशि पर सभी प्रकार का दावा सम्मान हो जायेगा।
- संपत्ति की बिज्नी 'बैसा है जहां है तथा जो भी वहां है' आधार पर की जा रही है।
- अघोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोलो को स्वीकार करने अथवा अनुपसृत पाने हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भीसमय नौलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। इस चरण तक अघोहस्ताक्षरी के संज्ञान में सम्पत्तिों के निरुद्ध किसी राजस्व/ऋणभार या दावे का विवरण नहीं है। किन्तु सम्पादित बोलोदाताओं को ईएमडी जमा करने से पूर्व अपने हित में बिज्नी/पानी/गृह कर या किसी अन्य ऋणभार आदि के सम्बन्ध में अपना ड्यू जितिलेस करने की सलाह दी जाती है।
- असफल सविदाकार/रों को अपनी ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुमनवाई की निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व डीआरटी-III की रिजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन करने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है जिसे तत्पुनार आरसी की अनुमति अनुसूची/परवर्ती तिथि पर वापस किया जायेगा।
- सीएच बैंक को यहाँ दिये गये विवरण के प्रमाण पर आने जांच का निदेश दिया जाता है।

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 23 मई, 2025 को दी गई।

(जय बर्धन)
रिकवरी अधिकारी-I,
डीआरटी-III, दिल्ली

मुहर

ऋण बसूली अधिकरण, देहरादून भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग) वित्तीय तंत्र, पारल टॉवर, माजरा बहालपुर रोड, देहरादून, उत्तरप्रदेश-248171	
प्रकाशन सूचना ओ.ए. संख्या 580/2024	
ऋण बसूली एवं दिवाल्यापान अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब-सेक्शन (4) संपादित उप नियम (2ए) के नियम 6 समथ-समथ पर संशोधित ऋण बसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम 1993 के अधीन सम्पन्न	
डायरी नं० 485/2025 दिनांक : 26.05.2025	
बैंक ऑफ बड़ोदा बनाम स्थायी सुभाष चन्द्र शर्मा एवं अन्य।	

- सेवा में,
- स्थायी सुभाष चंद्र शर्मा अपने ज्ञात कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से-
ए) श्रीमती शांति देवी पत्नी स्थायी सुभाष चंद्र शर्मा निवासी ग्राम धुवगुप्त, पोस्ट-पदमपुर सुखरो, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल-246149।
बी) श्री बसंत कुमार शर्मा पुत्र स्थायी सुभाष चंद्र शर्मा निवासी ग्राम धुवगुप्त, पोस्ट-पदमपुर सुखरो, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल- 246149।
(प्रतिवादी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 2 का कानूनी उत्तराधिकारी)
 - श्री प्रमोद कुमार पुत्र स्थायी सुभाष चंद्र शर्मा निवासी ग्राम धुवगुप्त, पोस्ट-पदमपुर सुखरो, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल- 246149।
 - श्रीमती लक्ष्मी भारती पत्नी श्री ओम प्रकाश भारती निवासी ग्राम 101, सिमलचौड़, पदमपुर सुखरो, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल-246149।

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध **रु. 26,32,161.24/-** की बसूली हेतु **ओए नं० 580/2024** संस्थित किया है, जिसमें माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण बसूली और दिवाल्यापान अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के तहत समन /नोटिस जारी करने की कृपा की और **22.05.2025** को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।
यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि आप दिनांक **30.07.2025, प्रातः 10:30 बजे** को स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत एजेंट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों। इसके अलावा, आपको यह दिखाने की आवश्यकता है कि ओएन में दी गई राहत की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और सेट में एक पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में और यदि कोई हो, तो सभी दस्तावेजों और शपथ पत्रों के तहत अपने बचाव में दायर करें। व्यक्तिगत रूप से या इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस ट्रिब्यूनल में आपके विधिवत अधिकृत एजेंट का कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सेट ऑफ, काउंटर क्लेम के लिए आपका बचाव या दावा प्रस्तुत करें।
सूचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई बिना आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
दिनांक **26 मई, 2025** के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।
ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार
रजिस्टार, ऋण बसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

निराज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड				
CIN No. : L27100DL1985PLC021811				
पंजीकृत कार्यालय : 6140 / 41 / 34 चौथी मंजिल, गली पेट्री चौक, ईस्ट गंरी, सारक बाजार, दिल्ली-110006				
कोषाधिकार्यालय : 19, चौटी रोड, गाँवबावन, उत्तर प्रदेश-201002				
ई मेल आइडी : nirajspalindustries@gmail.com, वेबसाइट : www.nirajspal.in				
31 मार्च, 2025 की समाप्त तिमाही के लिए लेखागोपनीय वित्तीय परिणामों का विवरण				
भाग I	(लाख रुपये)			
विवरण	समाप्त तिमाही / समाप्त बाल्ड वर्ष	समाप्त वर्ष की तिमाही	तिथि तक वर्ष की आंकड़ें / समाप्त बाल्ड वर्ष	पिछला वर्ष समाप्त
मीने नोट देवें	(31.03.2025) (लेखापरीक्षा)	(31.12.2024) (लेखापरीक्षा)	(31.12.2025) (लेखापरीक्षा)	(13.03.2024) (लेखापरीक्षा)
1. परिचालन से कुल आय	127.14	106.29	477.89	408.33
2. अगति के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट और/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	50.88	43.26	178.35	110.20
3. कर से पूर्व अगति के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	50.98	43.26	178.35	110.20
4. कर से बाद अगति के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	29.98	46.81	133.57	81.02
5. अगति हेतु कुल व्यापक अन्य (अन्य) हेतु कुल बावत लाभ / (हानि) पूरा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	29.98	46.81	133.57	81.02
6. इक्विटी शेयर मुद्रा	60.00	60.00	80.00	60.00
7. अंतरिक्षा मुद्रा पूरा के लेखापरीक्षित तुल्य पूरा के अनुसार पुनर्निर्धारित (अन्य) ताल अघोहस्ताक्षरी	1,238.99	1,236.99	1,236.99	1,236.99
8. अन्य प्रति शेयर (रु.10/- प्रति को) (अन्य) ताल अघोहस्ताक्षरी के लिए	5.00	6.77	22.26	13.50
1. मुद्रा	5.00	6.77	22.26	13.50
2. उपाय	5.00	6.77	22.26	13.50
विषय/पत्र				
1. उक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई, तथा 26 मई, 2025 को आयोजित तलकी में निवेदन के माध्यम से आनुमोदित किया गया है।				
2. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों की कम्पनी के वार्षिकिक ऑडिटरों द्वारा समीक्षा की गई है। समीक्षा के अनुसार वित्तीय परिणामों में कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई।				
3. इन परिणामों को अगली (वार्षिक लेखा माह) नियम, 2015 के नियम 3 तथा बसूली बाल्ड वर्षों के लिए नियम 3 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत नियमित रूप से माहवीय सला माहक (संशोधन-कै-एनए) के अनुसार तैयार किया गया है।				
4. कम्पनी पौडी बलन के निर्माण के व्यवस्थापन में है, अतः आईएसडी-एएच-108-प्रवासात खंड के अनुसार विवरण देने योग्य जीवन एक खंड है।				
5. 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों पूर्ण द्वितीय वर्ष के संक्षेप में लेखापरीक्षित आंकड़ों और विवरण, 2024 को समाप्त नौ महीनों के अलेखापरीक्षित प्रकाशित आंकड़ों के बीच अंतर को दर्शाते हैं।				
6. जहाँ भी उल्टा हुआ, पूर्व अवधि के आकड़ पुनर्मौलिकृत / पुनर्मौलीकृत किये गये हैं।				
कुले निराज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड				
(हस्ता) / नाम : चैतन्य चौधरी				
महामन्त्र : निदेशक एवं सीईओ				
डीआईएन - 06813994				
तिथि : 26.05.2025				
समाप्त : दिल्ली				

फॉर्म ए
सार्वजनिक सूचना
भारतीय दिवाला और दिवाल्यापान बोर्ड (कोषाधिकारियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 8 के तहत।

पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रारंभिक विवरण	
1. कोषाधिकार देनदार का नाम	पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2. कोषाधिकार देनदार के निगमन की तिथि	30/06/2010
3. प्राथमिक जिला के अंतर्गत कोषाधिकार देनदार निगमन / वित्तियुक्त है	आजोली कानपुर
4. कोषाधिकार प्रदान संख्या / कोषाधिकार देनदार की सीमित देना सहज संख्या	सीआईएन: U27310UP2010PTC041205
5. कोषाधिकार देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रदान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	ग्री मंजिल टावर-1, ग्रीट नं.-1704 एक्सप्रेस ट्रेड टावर-2, ग्रीट नं.-36, ग्रीट नं.-132, गीतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, भारत। कॉड: 362/2 , गांव हुसैनपुर जोगड़ा, वेगाराजपुर औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत-251003
6. कोषाधिकार देनदार के संबंध में दिवाल्यापान प्राप्त होने की तारीख	26.05.2025
7. दिवाला समायोजन प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तारीख	22-11-2025
8. अंतर्गत समायोजन पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	प्रमोद कुमार शर्मा IBBI/PA-002/IP-N00110/2017-18/ 10258
9. अंतर्गत समायोजन पेशेवर का पता और ईमेल, जैसा कि बोर्ड के पास पंजीकृत है	महान नं.-16, साराथ कुंज-बी स्टेट अंजुन नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश-282001। pksharmafcs@gmail.com cirp.psmetals@gmail.com
10. अंतर्गत समायोजन पेशेवर द्वारा धारा 21 की उपधारा (ए) के खंड (डी) के तहत लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो, के लिए	महान नं.-16, साराथ कुंज-बी स्टेट अंजुन नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश-282001 के साथ पचास के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पता और ई-मेल : cirp.psmetals@gmail.com
11. दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	11-06-2025
12. अंतर्गत समायोजन पेशेवर द्वारा धारा 21 की उपधारा (ए) के खंड (डी) के तहत लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो, के लिए	लागू नहीं
13. तिथि बर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने गए दिवाला पेशेवरों के नाम (प्रत्येक वर्ग के लिए एक नाम)	लागू नहीं
14. (ई) प्रासंगिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	https://bbi.gov.in/en/home/downloads

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने 26.05.2025 को **मैसर्स पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड** की कोषाधिकार दिवाला समायोजन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
मैसर्स पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से अग्रुह है कि वे प्रतिष्ठित संख्या 10 के समक्ष उल्लिखित पत्र पर अंतिम समायोजन पेशेवर को 11.06.2025 को या उससे पहले अपने दावे प्रमाण सहित प्रस्तुत करें।
वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाण सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण सहित दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे के झूठे या झूठे प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लागू होगा।

हस्ता /—
प्रमोद कुमार शर्मा
रजिस्टार, पीएसआर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक: 30.05.2025
स्थान: आगरा, उत्तर प्रदेश।
IBBI/PA-002/IP-N00110/2017-18/10258

फॉर्म सं. आरएससी-4
(नियम, 2016 के नियम 3(3) के अनुसार राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण (कम्पनी कोषाधिकारियों के कम्पनी की प्रक्रिया))
नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष
नई दिल्ली कोर्ट-IV (विशेष पीठ)
कम्पनी याचिका संख्या 207 (एनडी) का 2024
कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के मामले में - धारा 66
और
शेयर पूंजी में कम्पनी के मामले में
और
के मामले में
व्यापक इंडिया इंटर्नेशनल क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड
याचिकाकर्ता कंपनी

सूचना का प्रकाशन
कम्पनी की शेयर पूंजी में कम्पनी की पुष्टि करने के लिए 30 सितंबर, 2024 को, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के तहत एक याचिका व्यापक इंडिया इंटर्नेशनल क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1352-वी, स्ट्रीट नंबर 13, गोबिंद पुरी, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 में है, और उक्त याचिका उच्च न्यायालय को नई दिल्ली कोर्ट-IV (विशेष पीठ) के समक्ष सुनवाई के लिए तय की गई है। राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 26 जुलाई, 2025 को सुनवाई के लिए।
याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा प्रस्तावित शेयर पूंजी में कम्पनी निम्नलिखित तरीके से है:
1. कम्पनी ₹10/- प्रति इंडिकटी शेयर के 4,90,000 इंडिकटी शेयर जो कि कुल ₹49,00,000 है, को घटाने का प्रस्ताव करती है, जो कुल चुकता इंडिकटी शेयर पूंजी का लगभग 98% है। यह कटौती कम्पनी के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों और कोई तथा शेयरधारकों द्वारा वर्तमान परिचालन के लिए आवश्यक न होने वाली अतिरिक्त पूंजी को वापस करने के निर्णय के कारण प्रस्तावित है।
2. कटौती प्रभावी होने पर, कम्पनी की चुकता पूंजी ₹50,00,00,000 (प्रत्येक ₹10/- के